यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

UJVNL

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक C-25/यूजेवीएनलि0/05/अनु0–3/उमप्र (मा0सं0) दिनांक 24-09-2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 211/I(2)/2013-05-90/TC/2008 दिनांक 20.02.2012 के द्वारा ऊर्जा के तीनों निगमों के कार्मिकों के लिए दिनांक 01.04.2009 से 09, 14 एवं 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति के अनुपालन में निगम आदेश संख्या 7774/यूजेवीएनलि0/कार्मिक/05/अनु0–III/टी0–03 दिनांक 15.07.2013 (यथासंशोधित) के द्वारा छठे वेतनमान में कार्मिकों को 09, 14 एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था अनुमन्य की गयी। छठे वेतनमान में दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था को शासनादेश संख्या 12/I(2)/2021–06 (2)–02/2015 टीसी–1 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में सातवें वेतनमान में (नॉन फॅक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से यथावत् अनुमन्य किया गया है।

छठे वेतनमान में लागू वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था के अर्न्तगत द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता के प्राविधानों के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को समाप्त करने हेतु पूर्व में लागू वित्तीय स्तरोन्नयन के आदेश संख्या 7774 दिनांक 15.07.2013 के बिन्दु संख्या–02 (1) (ख) में उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 589/ XXVII (7)40(IX)//2011 दिनांक 01.07.2013 के अनुसार द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता के प्राविधानों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन की सहमति प्रदान की जाती है :–

निगमादेश संख्या 7774 दिनांक 15.07.2013 में द्वितीय ए0सी0पी0 की व्यवस्था	**द्वितीय ए0सी0पी0 हेतु संशोधित व्यवस्था**
2 (1) (ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। **परन्तु** यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।	2 (1) (ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 14 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा। **परन्तु** यदि कार्मिक की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात होती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 05 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा 14 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन (नॉन फॅक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

24/09/22

क्रमश ...2...

Scanned with CamScanner

निगमादेश संख्या 7774 / यूजेवीएनलि0 / कार्मिक / 05 / अनु0– III / टी0–03 दिनांक 15.07.2013 की शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव अध्यक्ष, यूजेवीएनलिमिटेड, देहरादून।

2–निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

3–निदेशक (परियोजनायें) / (परिचालन) / (वित्त) / (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।

4–अधिशासी निदेशक (जानपद) / (वि0 / यां0) / (वित्त) / (मा0सं0),यूजेवीएन लिमिटेड,

5–समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक ,यूजेवीएन लिमिटेड।

6–उपमहाप्रबन्धक(आई0टी0)),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

7–समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी,यूजेवीएन लिमिटेड।

24/09/22

(राजेन्द्र सिंह)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

Scanned with CamScanner